

## MSME के लिये पारस्परिक ऋण गारंटी योजना

**स्रोत: पी.आई.बी.**

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिये म्यूचुअल क्रेडिटि अथवा पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (MCGS-MSME) की शुरुआत को स्वीकृति दी है।


### MCGS-MSME क्या है?

- **परिचय:** यह एक ऐसी पहल जिसके अंतर्गत ऋणदाताओं द्वारा अनुभव किये जाने वाले जोखिम को कम कर **MSME** को दिये जाने वाले ऋण के लिये गारंटी प्रदान करते हुए उनके लिये (MSME) ऋण प्राप्तिको सुवधाजनक बनाया जाएगा।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - लक्ष्यति उधारकर्ता: वैध **उद्यम पंजीकरण संख्या** वाले MSME।
  - ऋण सीमा: उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिये अधिकतम **100 करोड़ रुपए का ऋण**।
  - ऋण गारंटी: राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा **सदस्य ऋण संस्थानों (MLI)** को ऋण का 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
  - परियोजना लागत: उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75% है।
  - योजना अवधि: 4 वर्ष की अवधि के लिये अथवा **7 लाख करोड़ रुपए की संचयी गारंटी** जारी होने तक, जो भी पहले हो।
- **महत्त्व:**
  - **वनिर्माण को बढ़ावा:** इससे MSME के लिये ऋण उपलब्धता बढ़ेगी, जिनका भारत के **सकल घरेलू उत्पाद** में 17% का योगदान है।
  - **मेक इन इंडिया के लिये समर्थन:** यह GDP में **वनिर्माण क्षेत्र** की हसिसेदारी को 25% तक बढ़ाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
  - **ऋण प्राप्ति:** इस पहल के अंतर्गत MSME के वसितार के लिये **संपार्श्विक-मुक्त ऋण** की सुवधा प्रदान की जाएगी।
  - **रोज़गार वृद्धि:** 27 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार के साथ इससे वनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार के महत्त्वपूर्ण अवसर सर्जित होंगे।

**नोट:** MLI का तात्पर्य उन सभी **अनुसूचित वाणज्यिक बैंक (SCB)**, **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)** और **अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFI)** से है, जिन्होंने योजना के तहत NCGTC के साथ पंजीकरण कराया है।

### राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) क्या है?

- **परिचय:** NCGTC एक उभयनिष्ठ न्यासी कंपनी है जो वभिन्न ऋण गारंटी न्यास नधियों का प्रबंधन और संचालन करती है, ताकि उधारकर्ताओं को उधारदाताओं के साथ उधार जोखिम साझा कर वित्त प्राप्त में सहायता प्रदान की जा सके।
  - यह MSME, स्टार्टअप और सुभेद्य समूहों जैसे वंचित क्षेत्रों में ऋण वसितार को प्रोत्साहित करते हुए ऋणदाताओं (जैसे बैंक और वित्तीय संस्थान) को ऋण गारंटी प्रदान करता है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना मार्च 2014 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 10 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ की गई थी।
  - यह एक नजी लिमिटेड कंपनी है जिस पर पूर्णतः भारत सरकार का स्वामित्व है तथा यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा वभाग के अधीन संचालन करती है।
- **कवरेज:** NCGTC वर्तमान में MCGS-MSME, माइक्रो युनिस हेतु क्रेडिटि गारंटी फंड (CGFMU), इमरजेंसी क्रेडिटि लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) सहित 14 समर्पित ऋण गारंटी ट्रस्ट योजनाओं का प्रबंधन करती है।



## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. वनरिमाण क्षेत्र के वकिस को बढावा देने के लयि भारत सरकार की हाल की नीतगित पहल क्या है/हैं? (2012)

1. राष्ट्रिय नविश और वनरिमाण क्षेत्र की स्थापना
2. 'सगिल वडि क्लीयरेंस' का लाभ प्रदान करना
3. प्रौद्योगिकी अधग्रहण और वकिस कोष की स्थापना

नीचे दयि गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)